भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2318
उत्तर देने की तारीख 4 अगस्त, 2025
13 श्रावण, 1947 (शक)

खेलो भारत नीति, 2025

2318. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेलो भारत नीति, 2025, विशेषरूप से उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रमों (ईएसडीपी) के अंतर्गत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के ग्रामीण/आदिवासी और आकांक्षी जिलों में जमीनी स्तर पर खेल अवसंरचना को मजबूत करने और प्रतिभाओं की शीघ्र पहचान करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं;

(ख) पंचायत/ब्लॉक स्तर पर पहल सहित, खेल सुविधाओं तक सीमित पहुँच वाले जिलों में योग्य प्रशिक्षकों की उपलब्धता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश में दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच समावेशी खेल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उक्त नीति के अंतर्गत सुलभ अवसंरचना और वित्तीय सहायता सहित क्या पहल की गई हैं;

(घ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से खेल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं और वंचित क्षेत्रों में खेल स्टार्टअप्स को क्या सहायता प्रदान की जा रही है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में संरचनात्मक खेल और शारीरिक शिक्षा को एकीकृत किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आंध्र प्रदेश के एथलीटों की पहचान किस प्रकार की जा रही है और उन्हें ओलंपिक और एशियाई खेलों जैसे वैश्विक आयोजनों में भाग लेने के लिए किस प्रकार सहायता प्रदान की जा रही है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) सरकार ने दिनांक 01.07.2025 को खेलो भारत नीति-2025 की शुआत की है, जिसका उद्देश्य भारत में एक सुदृढ़, समावेशी और प्रदर्शन-संचालित खेल पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना है। इस नीति के उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, भावी चैंपियनों को निखारने हेतु एक सुदृढ़ प्रतिभा पहचान और विकास प्रणाली विकसित करना, देश भर में खेल अवसंरचना तक समान पहुँच सुनिश्चित करना और खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए एथलीट-केंद्रित सहायता प्रणालियाँ उपलब्ध कराना शामिल है। 'खेल' राज्य विषय होने के कारण, खेलों के संवर्धन और विकास की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। तथापि, केंद्रीय सरकार (i) खेलो इंडिया स्कीम (ii) टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) (iii) राष्ट्रीय खेल परिसंघ को सहायता स्कीम (iv) खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन हेतु खेल निधि स्कीम और (vi) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक विजेताओं और उनके कोच को नकद प्रोत्साहन स्कीम जैसी अपनी विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता करती है। इन सभी स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट https://yas.nic.in/sports/schemes पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ख) 'खेल' एक राज्य का विषय होने के कारण, पंचायत/ब्लॉक स्तर पर पहल सहित जिन जिलों में खेल सुविधाएं सीमित हैं उनमें योग्य कोच की उपलब्धता में सुधार करने के साथ-साथ खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केंद्रीय सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। खेलो इंडिया स्कीम के तहत, राज्यों के खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी) और खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) को कोचंग सहित अन्य सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में 926 पूर्व चैंपियन एथलीट (पीसीए) केआईसी में कोच और संरक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इन पीसीए को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनएसएनआईएस) पटियाला और अन्य अकादमियों द्वारा निःशुल्क पुनश्चर्या और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों सहित क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों में भाग लेना होता हैं। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय राष्ट्रीय खेल परिसंघ को सहायता और भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्र का संचालन जैसी अपनी अन्य स्कीमों के माध्यम से भी कोचों की सहायता करता है।

(ग) खेलो भारत नीति 2025 का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित सभी खिलाड़ियों के लिए देश भर में खेल अवसंरचना तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है। सरकार, उपरोक्त बिंदु (क) के उत्तर में उल्लिखित विभिन्न स्कीमों के माध्यम से दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की कमी को पूरा करती है। इसके अतिरिक्त, सभी खेल सुविधाओं के लिए "दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य खेल

परिसर और आवासीय सुविधाएँ" में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है ताकि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए ये सुविधाएं आरामदायक और सुगम्य हों।

(घ) खेल विभाग, कॉर्पोरेट्स/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर और कई सीएसआर सम्मेलनों एवं अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता करके, खेल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इस विभाग में राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) भी है, जिसमें कॉर्पोरेट्स/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सीएसआर निधि का अंशदान प्राप्त किया जाता है और खेलों के विकास के लिए उपयोग किया जाता है।

(ङ) शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा बच्चों में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल, शारीरिक गतिविधियों, योग और पाठ्येतर गतिविधियों को शामिल करते हुए समग्र शिक्षा स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत, सरकारी स्कूलों को खेल उपकरणों के लिए प्रति वर्ष 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाता है, साथ ही यदि स्कूल के कम से कम दो छात्र खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में पदक जीते हों, तो प्रति स्कूल 25,000 रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप, दैनिक खेल गतिविधियों, देशज खेलों, आयु-उपयुक्त उपकरणों की खरीद, अवसंरचना विकास और खेल समितियों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भूमिका पर बल देने के लिए इस स्कीम के खेल दिशानिर्देशों को अगस्त 2023 में संशोधित किया गया था।

(च) टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के अंतर्गत एथलीटों की पहचान और निगरानी के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के अधीन कार्यरत मिशन ओलंपिक प्रकोष्ठ (एमओसी) उत्तरदायी है। इस स्कीम के माध्यम से, मंत्रालय ओलंपिक और एशियाई खेलों में पदक जीतने की क्षमता वाले एथलीटों का चयन करता है और उन्हें सहायता प्रदान करता है, जिनमें आंध्र प्रदेश के एथलीट भी शामिल हैं। इन एथलीटों को उनके खेल विधा से जुड़ी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाती है।

*****